छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय ब्लॉक नं. 7 / ए द्वितीय तल,सेक्टर-24
ऑफिस कॉम्प्लैक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001
E-Mail : nanheadoffice@gmail.com

पात्र आवेदकों से उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

RFP No.: -

Dated:

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (CGSCSC) पात्र आवेदकों से उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिये रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001 उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माताओं के इम्पैनलमेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित करता है।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

SECTION I

NOTICE OF DISCLAIMER

1. रूचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेज में निहित या भविष्य में इच्छुक आवेदकों को छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लि. के किसी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी लिखित रूप से निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी किसी रूचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेज के अंग माने जायेंगे।
2. रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदाय किये गये दस्तावेज, अनुबंध या संविदात्मक तथ्यों की स्थापना नहीं करते हैं।
3. रूचि की अभिव्यक्ति के अतर्गत आमंत्रित प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।
4. रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले मूल्यांकन पत्रक के प्रस्ताव में लागत के लिये प्रस्तावक द्वारा निगम के जो भी तथ्य अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त की जाती है अथवा उसके उपरांत भरे गये प्रस्तावित दर के लिये निगम का कोई अभी अधिकारी/कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होगी। निगम द्वारा अपेक्षित मूल्य प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रियाओं में परिवर्तन अथवा दस्तावेज की अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध प्रस्तावक से कर सकता है। इस पर सफल प्रस्तावक की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
5. निगम के पास रूचि की अभिव्यक्ति में संशोधन करने, स्थगित करने या पूरक जानकारी सम्मिलित करने का अधिकार सुरक्षित है तथा रूचि की अभिव्यक्ति में भविष्य में होने वाले परिवर्तन https://www.cgstates.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा।
6. सफल प्रस्तावक स्वमेव आवेदकों की सूची में शामिल नहीं होंगे। इस हेतु निगम द्वारा तय निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों को पूर्ण करने वालों को ही सूचीबद्ध किया जावेगा।

****

SECTION – II

INTRODUCTION AND OVERVIEW

1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य में लगभग 12 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों में आपूर्ति की व्यवस्था करता है।

निगम द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में चावल, गेहूँ, मक्का, शक्कर, नमक, चना दाल, गुड़ एवं अन्य सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

योजना की आवश्यकता

1. निगम द्वारा पूर्व वर्षो में भी अन्य उच्चगुणवत्ता की गैर पीडीएस सामग्री खरीदकर सर्व-साधारण को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता रहा है।
2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कई खाद्य सामग्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं के लिए जनसामान्य को साप्ताहिक हाट अथवा बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
3. साप्ताहिक हाटों में एवं आंतरिक क्षेत्रों में मिलने वाले खाद्य एवं उपभोक्ता सामग्रियां सामान्यतः कम गुणवत्ता अथवा गुणवत्ताविहीन होते है जिससे वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती है। साथ ही मूल्य अधिक होने के कारण शोषण का शिकार होते हैं।
4. उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता एवं मल्टीब्राण्ड विविध उपभोक्ता सामग्री प्रतिस्पर्धी एवं उचित मूल्य पर सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने हेतु एक प्रभावी योजना लागू किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

योजना का उद्देश्य

1. गैर पीडीएस सामग्रियों को जनसामान्य के लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
2. उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के सामान को उचित मूल्य दुकान से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्राप्त कर सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा यह प्रयास किए जायेगे कि उपभोक्ता

सामग्रियों का क्रय सीधे उत्पादको से किया जावे ताकि उत्पादक से उपभोक्ता के मध्य जो अन्य इकाईयां कार्य करती है तथा अपना-अपना मार्जीन जोड़ते है उसे कम किया जा सकें।

3. उपभोक्ता के पास अपने उपयोग के लिए विभिन्न उत्पादों की अनेक श्रेणियाँ होगी।
4. उपभोक्ता की पहुंच उन वस्तुओं तक होगी जो सामान्यतः उनके क्षेत्रों में सहज रूप से नहीं पाये जाते है अथवा जिनके लिए उन्हे हाट/बाजार की प्रतीक्षा करनी होती है।
5. उपभोक्ताओं को उनके उपभोग की समस्त ब्राण्डेड वस्तुएँ एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। उपभोक्ता के पास ब्राण्डेड वस्तुएं उचित मूल्य पर दैनिक जीवन में उपयोग करने हेतु उपलब्ध होगी।
6. योजना में 12 हजार से अधिक उचित मूल्य चलाने वाले संचालकों में उद्यमशीलता विकसित होगी।
7. उचित मूल्य दुकानों के संचालक आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होंगे क्योकि अन्य NON-PDS उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय से वे लभान्वित होंगे तथा आर्थिक दृड़ता की ओर अग्रसर होंगे।
8. उपभोक्ता कम गुणवत्ता अथवा स्तरहीन उत्पादों से बचने एवं अस्वास्थ्यप्रद वस्तुओं से अपनी रक्षा करने के विकल्प के साथ मौजूद होंगे।
9. उपभोक्ता मांग अनुरूप वस्तुएं पाने की स्थिति में होंगे।
10. इस योजना के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के संचालन में निरंतरता आयेगी तथा सम्भवतः यह प्रतिदिन उपभोक्ताओं के लिए खुली रह सकती है।

****

SECTION -III

1. आवेदकों के लिए सामान्य शर्तें और निर्देश

a) इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता अनुबंध उपरांत उचित मूल्य दुकानों के मांग के अनुसार उत्पादों की आपूर्ति और वितरण के लिए सहमत होंगे।

b) इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता आपूर्ति और वितरण कार्य के संचालन के लिए समस्त व्यवस्था व कार्य अपनी लागत और खर्च पर करेंगे।

c) इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता को सामाग्री के उपयोग एवं आवश्यकतानुसार पर्याप्त समाप्ति तिथि (Expiry Date) के साथ FSSAI या ISI या BIS या AGMARK आदि द्वारा प्रमाणित पैक सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

d) प्रस्तावित सामग्री की सूची उचित मूल्य दुकानों के सर्वे एवं स्थानीय मांग एवं आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। उत्पादों की संभावित सूची इस प्रकार होगी:

1. खाद्य तेल
2. घी
3. बिस्कुट/कुकीज़
4. नूडल्स
5. कॉफी
6. चाय
7. साबुन
8. डिटर्जेंट पाउडर
9. बालों का तेल
10. टूथ पेस्ट
11. टूथ पाउडर
12. शैम्पू
13. स्नैक्स (नमकीन)
14. सॉस/केचप

15. पापड़
16. टूथब्रश
17. रेजर
18. शेविंग क्रीम
19. पेन
20. पेंसिल
21. अगरबत्ती
22. फिनाइल
23. माचिस
24. नोटबुक
25. सेनेटरी नैपकिन
26. बैटरी
27. हस्तशिल्प
28. हथकरघा
29. अनाज जैसे चावल गेहूं (आटा), मक्का, कोदो-कुत्की और अन्य छोटे बाजरा,
30. दलिया -तुअर, कुल्थी, तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी
31. मसाले - जैसे मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया , मेथी इत्यादि
32. सुगंध और औषधीय पौधे - जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतवार, बुच, आओला, तिखुर , लेमनग्रास, पामारोजा, जमारोजा, पचौली, ई-सीट्रिडोरा इत्यादि

e) परियोजना धमतरी और बस्तर जिले में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ की सभी 12000 उचित मूल्य की दुकानों में लॉन्च करने की योजना है।

f) इस इम्पैनल्मेंट RFP में भाग लेने वाले आवेदकों में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

g) सूचीबद्ध निर्माताओं को अपनी कीमत/दर सूची प्रदान करनी होगी, एवं वस्तु वापसी के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान किया जाना होगा।

h) उचित मूल्य की दुकान के मालिक किसी भी सूचीबद्ध निर्माता से अपनी सुविधा के अनुसार ऑर्डर देने/किसी भी मात्रा और उत्पाद को खरीदने का निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होंगे।

i) CGSCSC ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों से उत्पाद की आवश्यकता/मांग एकत्र करेगा और उसे अनुबंधित निर्माता को अग्रेषित करेगा। प्रतिमाह मांग पत्र के Total Order Value (Qty * एफ़पीएस को प्रदाय दर) का 3% कमीशन निगम को प्रशाकीय शुल्क अग्रिम देय होगा, कमीशन भुगतान के पश्चात ही निगम द्वारा मांग पत्र अग्रेषित किया जवेगा|

j) उपभोक्ता दर का निर्धारण अनुबंध के समय किया जावेगा।

k) इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता को उत्पादों की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों की क्रेडिट अवधि के भीतर उचित मूल्य की दुकान के मालिकों द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा।

l) CGSCSC, उचित मूल्य दुकान और सप्लायर (निर्माताओं) के बीच होने वाले समव्यवहारों के भुगतान की गारंटी नहीं देगा।

m) इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़, मुख्यालय, रायपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में रु. 100,000 (एक लाख रुपये मात्र) की इम्पैनल्मेंट (पंजीकरण) राशि जमा करना होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा|

n) EMD राशी : इम्पैनल्मेंट में शामिल निर्माता को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़, मुख्यालय, रायपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में निम्नानुसार ईएमडी राशि जमा किया जाना होगा जो अनुबंध अवधि/समाप्ति के अंत मे वापस कर दी जाएगी| CGSCSC ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा |

क्र	विवरण	EMD राशि (रुपये में)
1	Non MSME and Startups	5 लाख
2	Startups/ Member Cooperative Societies	10 लाख
3	MSME	15 लाख

o) शासकीय / अर्धशासकीय संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन के आधीन पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (महिला) एवं छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादक समूह इस EOI (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) के पंजीकरण राशि एवं अनुभव आहर्ताओं से मुक्त रहेंगे | इन सभी संस्थानो को छुट देने संबन्धित सभी अधिकार प्रबंध संचालक CGSCSC के पास सुरक्षित रहेंगे|

p) इम्पैनल्मेंट की अवधि 3 साल के लिए है जिसे और 2 साल तक आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

q) CGSCSC और चयनित निर्माताओं के बीच समझौते में आगे के नियम और शर्तों को विस्तृत किया जाएगा।

r) इम्पैनल्मेंट निर्माता मासिक आधार पर CGSCSC को उचित मूल्य की दुकान को आपूर्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।

s) उत्पादों के आपूर्ति के दौरान हुए चोरी, आगजनी इत्यादि क्षति के लिया निर्माता स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमे CGSCSC की कोई जवाबदेही नहीं होगी|

t) निर्माता के द्वारा उत्पादों की आपूर्ति खाद्य विभाग से संलग्न उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाकर किया जवेगा|

u) एफएमसीजी के उत्पादन एवं वितरण में अनुभव रखने वाली कंपनियों/सोसाइटियों/ स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी

2. ईओआई के लिए पात्रता मानदंड

वर्ग 1: Non MSME and Startups (EMD राशि रुपये 5 लाख मात्र)		
1.	आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके बाद के संशोधनों के तहत भारत में निगमित कंपनी/ Limited Liability Partnership/ पार्टनरशिप फर्म/एकल स्वामित्त संस्था होगी।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या अन्य पार्टनरशिप डीड/ प्रमाण पत्र जो संस्था के अस्तित्व को प्रमाणित करता हो।
2.	आरएफपी नोटिस (नाम परिवर्तन / विलय या अधिग्रहण के प्रभाव सहित) के प्रकाशन की तारीख को भारत में पिछले पांच वर्षों से काम कर रहा हो।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
3.	आवेदक का वार्षिक कारोबार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में Rs 1 (एक) करोड़ होना चाहिए ।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार टर्नओवर प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
4.	प्रस्तुत करने तिथि के अनुसार आवेदक के पास Cash Flow होना चाहिए।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार Cash Flow प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
5.	आवेदक को किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण आचरण के लिए और इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शपथ पत्र (नोटरी के समक्ष)
6.	आवेदक के पास वैध GST पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो, होना चाहिए।	GST पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (नोटरी से सत्यापित)
7.	आवेदक के पास एक वैध PAN होना चाहिए, जैसा लागू हो।	PAN की प्रति (नोटरी से सत्यापित)

वर्ग 2: Startups/ Member Cooperative Societies (EMD राशि रुपये 10लाख मात्र)		
1.	आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 या सोसाइटी अधिनियम 1860 या partnership firm या limited liability partnership के तहत और उसके बाद के संशोधनों के तहत भारत में निगमित होगी।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या अन्य पार्टनरशिप डीड/ प्रमाण पत्र जो संस्था के अस्तित्व को प्रमाणित करता हो।
2.	आवेदक के पास वैध GST पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो, होना चाहिए।	GST पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (नोटरी से सत्यापित)
3.	आवेदक के पास एक वैध PAN होना चाहिए, जैसा लागू हो।	PAN की प्रति (नोटरी से सत्यापित)
4.	आरएफपी नोटिस (नाम परिवर्तन / विलय या अधिग्रहण के प्रभाव सहित) के प्रकाशन की तारीख को भारत में पिछले तीन वर्षों से काम कर रहा हो।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
5.	आवेदक का वार्षिक कारोबार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में Rs दस लाख होना चाहिए ।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार टर्नओवर प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
6.	प्रस्तुत करने तिथि के अनुसार आवेदक के पास Cash Flow होना चाहिए।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार Cash Flow प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
7.	आवेदक को किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण आचरण के लिए और इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शपथ पत्र (नोटरी के समक्ष)

वर्ग 3: MSME (EMD राशि रुपये 15 लाख मात्र)		
1.	आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013और उसके बाद के संशोधनों के तहत भारत में निगमित / Limited Liability Partnership/ पार्टनरशिप फर्म/एकल स्वामित्त संस्था कंपनी होगी।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या अन्य पार्टनरशिप डीड/ प्रमाण पत्र जो संस्था के अस्तित्व को प्रमाणित करता हो।
2.	आरएफपी नोटिस (नाम परिवर्तन / विलय या अधिग्रहण के प्रभाव सहित) के प्रकाशन की तारीख को भारत में पिछले तीन वर्षों से काम कर रहा हो।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
3.	आवेदक का वार्षिक कारोबार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष मे Rs चौबीस लाख होना चाहिए ।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार टर्नओवर प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
4.	प्रस्तुत करने तिथि के अनुसार आवेदक के पास Cash Flow होना चाहिए।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वर्ष-वार Cash Flow प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें
5.	वैध एमएसएमई पंजीकरण होना चाहिए	वैध एमएसएमई पंजीकरण की प्रति संलग्न करें (नोटरी से सत्यापित)
6.	आवेदक को किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण आचरण के लिए और इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।	शपथ पत्र (नोटरी के समक्ष)
7.	आवेदक के पास वैध GST पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो, होना चाहिए।	GST पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (नोटरी से सत्यापित)
8.	आवेदक के पास एक वैध PAN होना चाहिए, जैसा लागू हो।	PAN की प्रति (नोटरी से सत्यापित)

3. <u>ईओआई दस्तावेज की उपलब्धता</u>

a ईओआई दस्तावेज https://www.cgstates.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

b इच्छुक आवेदक सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में रुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज, आवेदक का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण सहित पूर्ण प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगाकर सीलबंद मुहर लगा लिफाफा निगम मुख्यालय में जमा करेंगे। लिफाफे में प्रेषक का नाम एवं लिफाफे के ऊपर '**उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)**' स्पष्ट रूप से अंकित होना सुनिश्चित कर निम्नलिखित पते पर डाक/कूरियर/स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जावे।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय ब्लॉक नं. 7 / ए द्वितीय तल,सेक्टर-24
ऑफिस कॉम्प्लैक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001

c आवेदक ईओआई तैयार करने और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। ईओआई प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, CGSCSC किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

4. <u>महत्वपूर्ण तिथियां</u>

क्र	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ईओआई प्रकाशन तिथी	**18/06/2021 11:00 AM**
2	ईओआई से संबन्धित चर्चा एवं सुझाव की तिथी	**07/07/2021 11:30 AM**
3	ईओआई प्रस्ताव जमा प्रारम्भ होने की तिथी और समय	**20/07/2021 11:00 AM**
• CGSCSC द्वारा इच्छुक आवेदकों से ईओआई संकलित कर परीक्षण कर सफल आवेदकों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किया जाएगा। • प्रकाशन तिथि से इच्छुक आवेदक 01 वर्ष की समयावधि में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।		

5. <u>ईओआई दस्तावेज पर प्रश्न</u>

ईओआई प्रस्ताव हेतु सभी संभावित आवेदक, निगम से अपने प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

6. <u>ईओआई दस्तावेजों में संशोधन</u>

ईओआई में निगम , किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, इस ईओआई दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है।

7. <u>ईओआई की वैधता की अवधि।</u>

इस ईओआई के तहत आवेदन/प्रस्ताव ईओआई आवेदन जमा करने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध होंगे। इससे कम अवधि के लिए ईओआई अस्वीकार कर दी जाएगी ।

8. <u>ईओआई प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

a. इस ईओआई के संबंध में आवेदन महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।

b. इच्छुक पक्ष सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रस्ताव, रुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज़ CGSCSC मुख्यालय प्रेषित करेंगे।

c. आवेदन के साथ 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) प्रोसेसिंग फीस प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़, मुख्यालय, रायपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में भुगतान करना होगा।

d. रुचि की अभिव्यक्ति में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, फोन, ईमेल आईडी, पता, स्थान होना चाहिए और सभी पेज सामान्य हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित और सील होना चाहिए।

e. सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के हेतु में ईओआई के प्रत्येक पृष्ठ मे आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित कर आवेदन अपलोड करना होगा ।

f. रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावक द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को अमान्य कर रुचि की अभिव्यक्ति के लिये जमा प्रोसेसिंग फीस राजसात की जावेगी एवं इस हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदारी होंगे।

g. निगम अपने विवेकाधिकार पर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ईओआई को स्वीकृत या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. <u>रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सीलबंद लिफाफा में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-</u>

a. प्रत्येक पृष्ठ पर प्रस्तावक द्वारा स्वयं का हस्ताक्षर एवं मुहर (सील) लगी हो।

b. आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस, ईएमडी राशि एवं इम्पैनल्मेंट (पंजीकरण) राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़, मुख्यालय, रायपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में भुगतान करना होगा।

c. ईओआई दस्तावेज़ के Section-II कंडिका 2 में उल्लेखित पात्रता के मापदंड संबंधी दस्तावेज़ ।

d. आवेदक का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण एवं प्रस्ताव ।

10. <u>ईओआई का मूल्यांकन</u>

a. रूचि की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन एवं प्रोसेसिंग फीस के साथ जमा की राशि को गठित मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण किया जावेगा। समिति द्वारा वांछित दस्तावेज नियम एवं शर्तों के अधीन जमा किये गये है, का परीक्षण किया जावेगा।

b. निगम के पास किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

c. बिना ईएमडी राशि, इम्पैनल्मेंट (पंजीकरण) राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के प्रस्तुत रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव अमान्य किया जावेगा।

11. <u>सफल आवेदक (आवेदकों) को सूचना</u>

a. रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रस्तुत सफल प्रस्तावक को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जावेगा। सफल प्रस्तावक को **30** कार्यशील दिवस के भीतर निर्धारित अनुबंध प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

****

आवेदक का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

आवेदक का फोटो

प्रेषक

.....

.....

.....

प्रति

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय रायपुर

प्रिय महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सेक्टर 24, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति और वितरण हेतु प्रकाशित निर्माताओं के इम्पैनलमेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को पढ़कर, हमने/मैंने यह ईओआई वेबसाईट **https://www.cgstate.gov.in** से डाउनलोड किया है| हमने/मैंने इस आमंत्रण मे दिये गए निर्देशों एवं दस्तावेज़ का सम्पूर्ण अध्ययन कर इसमे उल्लेखित नियमों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है तथा हम/मै उनके पालन के लिए सहमत तथा बाध्य हैं/हूँ |

इस संदर्भ में हमारा / मेरा विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	वांछित विवरण के बिन्दु	वांछित विवरण
1	आवेदक का नाम व पता	
2	दूरभाष क्रमांक कार्यालय /इंडस्ट्री मोबाइल नंबर	
3	आवेदक का ई-मेल पता एंव फ़ैक्स नंबर एसटीडी कोड सहित	
4	आवेदक की संस्था का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार आदि)	
5	प्रोपराईटर/भागीदार/प्रबंध संचालक का नाम व	

	पता संपर्क दूरभाष मोबाइल नंबर सहित	
6	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते	
7	कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
8	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
9	आवेदक का पूर्व में उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण एवं विपणन का अनुभव विवरण	
10	बैंकर का नाम शाखा सहित	बैंकर का नाम ..... बैंक खाता क्रमांक ..... आईएफ़एससी कोड .....
11	अमानत राशि का विवरण	
12	इम्पैनल्मेंट (पंजीकरण) राशि का विवरण	
13	आवेदक यही प्रतिबंधित /काली सूची में दर्ज किया गया हो तो विवरण अनिवार्यत: अंकित करें।	

हम/मै घोषित करते हैं/करता हूँ की इस ईओआई फॉर्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविस्टीयां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिए मैं पूर्णत: उत्तरदायी हूँ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम .....
कंपनी/फर्म का नाम .....
पूरा पता .....
हैसियत .....
मुहर/सील .....

प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सेक्टर 24, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति और वितरण हेतु प्रकाशित निर्माताओं के इम्पैनलमेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में हमारे/मेरे द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	सामग्री का नाम	प्रचलित ब्रांड	पैकेजिंग विवरण	सामाग्री हेतु प्राप्त अनुज्ञप्तियों एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्रों का विवरण	वार्षिक उत्पादन क्षमता	उपयोग अवधि

हस्ताक्षर.....

नाम .....

कंपनी/फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर/सील .....